







OUR PUBLICATIONS



ISSN 0975-119X

UGC-CARE GROUP I LISTED

वर्ष 13 अंक 1 जनवरी-फरवरी 2021

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

India's Leading Referred Hindi Language Journal



448, Pocket-V, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi-110091 (INDIA)

Ph.: 011-22753916



IMPACT FACTOR : 5.051

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

प्रधान संपादक

डॉ. अश्विनी महाजन

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

संपादक

डॉ. प्रसून दत्त सिंह

महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी

डॉ. फूल चन्द

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

दृष्टिकोण प्रकाशन

वर्ष : 13 अंक : 1 □ जनवरी-फरवरी, 2021

दृष्टिकोण

संपादक मंडल

डॉ. अरुण अग्रवाल

ट्रेन्ट विश्वविद्यालय, पीटरबरो, ओंटारियो

डॉ. दया शंकर तिवारी

दिल्ली विश्वविद्यालय

डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी

काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी

डॉ. प्रकाश सिन्हा

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

डॉ. दीपक त्यागी

दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर

डॉ. अरुण कुमार

रांची विश्वविद्यालय, रांची

डॉ. महेश कुमार सिंह

सिद्ध कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका

डॉ. हरिश्चन्द्र अग्रहरि

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

डॉ. पूनम सिंह

बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

डॉ. एस. के. सिंह

पटना विश्वविद्यालय, पटना

डॉ. अनिल कुमार सिंह

जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा

डॉ. मिथिलेश्वर

वीर कुंअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

डॉ. अमर कान्त सिंह

तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

डॉ. ऋतेश भारद्वाज

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

डॉ. स्वदेश सिंह

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

डॉ. विजय प्रताप सिंह

छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

संपादकीय सम्पर्क:

448, पॉकेट-5, मयूर विहार, फेज-I, दिल्ली-110091

फोन : 011-22753916, 35522994 Mobile: 9710050610, 9810050610

e-mail : editorialindia@yahoo.com; editorialindia@gmail.com; delhijournals@gmail.com

Website : www.ugc-care-drishitikon.com

©Editorial India

Editorial India is a content development unit of Permanence Education Services (P) Ltd.

ISSN 0975-119X

नोट: पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के विचार अपने हैं। उसके लिए पत्रिका/संपादक/संपादक मंडल को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पत्रिका से सम्बंधित किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

राहुल का बौद्ध दर्शन और मानवतावादी सन्दर्भ—सत्य प्रकाश पाण्डेय	1715
प्रवासी मजदूरों का अपने घर की ओर हो रहा पलायन: इससे निर्मित चुनौतियाँ एवं अवसरों का अध्ययन—डॉ. लक्ष्मीकांत शिवदास हरणे	1719
भारत में प्रवासी श्रमिकों का वैश्विक महामारी के दौरान पलायन : चुनौतियाँ एवं रणनीति—डॉ० संजू चलाना बजाज	1723
सार्वभौमिक शिक्षा दर्शन : श्रीमद्भगवद्गीता दर्शन—डॉ० अनिता जोशी; सुनीता जोशी	1727
छत्तीसगढ़ के नवगीतकारों के नवगीतो में राजनीतिक विडम्बनाएँ—डॉ. स्वामीराम बंजारे; शैलेन्द्र कुमार साहू	1732
बौद्ध दर्शन में ध्यान का स्वरूप—धनंजय कुमार जैन; डॉ. संतोष प्रियदर्शी	1736
भविष्य के भारत में प्राचीन भारतीय विज्ञान की भूमिका—डॉ० विजय कुमार	1741
भारत में कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का भौगोलिक अध्ययन—चिरन्जी लाल रैगर	1745
भारतीय हिंदी साहित्य में किसानों की त्रासदी—होशियार सिंह	1750
इन्टरनेट और मोबाइल के व्यसन से मुक्ति में योग की उपयोगिता—कृष्णाबेन संजयकुमार ब्रह्मभट्ट; डॉ० बिमान पॉल	1753
1857 की क्रांति के कारणों का विश्लेषणात्मक अध्ययन—अमित कुमार; राजेश कुमार	1757
‘भोलाराम का जीव’ व्यंग्य-रचना में अभिव्यक्त सामाजिक विसंगतियाँ—चुन्नीलाल	1761
चंद्रकांता उपन्यास “कथा सतीसर” में कश्मीर समस्या के विविध आयाम—सुखबीर कौर	1764
बिहार का कृषि रोड मैप: किसानों के समग्र विकास का प्रतीक—दीपक कुमार झा	1766
मानसिक स्वास्थ्य के संवर्द्धन में संगीत की भूमिका: शिक्षकों के विशेष सन्दर्भ में विवेचनात्मक अध्ययन—अलका सिंह	1772
किसान अस्मिता का संकट और ‘फाँस’—डॉ० बिजेन्द्र कुमार	1777
ध्रुवस्वामिनी: प्रसाद की नयी संकल्पना—डॉ० विजय रवानी	1781
आर्थिक विकास और पर्यावरण—श्रीमती कविता	1785
नई शिक्षा नीति, 2020 के आधार पर उच्च शिक्षा में परिवर्तन—डॉ० रवींद्र कांबले	1789
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नयी तालीम के तत्व अनुसार स्कूली छात्रों में व्यवसाय शिक्षा के लिए सेवांतर्गत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उपयोजन—श्रीमती भावना पाटीलबुवा राजनोर; डॉ० संजीवनी राजेश महाले	1792
नई शिक्षा नीति 2020 के साथ पढेगा भारत—डॉ० दयाराम दुधाराम पवार	1798
वंचना से विकास की ओर शैक्षणिक संदर्भ में विविधता का अध्ययन : एक नीतिगत समझ—मांडवी दीक्षित	1801
प्राचीन मूर्तिशिल्प में पार्वती: विश्लेषणात्मक अध्ययन—राजेश कुमार जाट	1805
गरासिया जनजाति की धार्मिक अलौकिक शक्तियाँ: एक विवेचन—गोगराज चौधरी	1810
लोक-नीति और राष्ट्र निर्माण: भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल्यांकन—मोहम्मद राशिद खान	1814
वर्तमान परिदृश्य में महिला सशक्तिकरण- बाधाएँ एवं सुझाव—डॉ. उमाशंकर त्रिपाठी	1819
छत्तीसगढ़ के श्रमिकों में पलायन के कारण एवं समस्या का सामाजिक अध्ययन (रायपुर संभाग के विशेष संदर्भ में) —संजय कुमार जांगडे; श्रीमति डॉ० रीना तिवारी	1822
मानवता के सरोकार और अज्ञेय का काव्य—माधुरी शर्मा	1827
भारतीय योग परम्परा एवं नाथपंथ : एक तुलनात्मक अध्ययन—कुँवर रणजय सिंह	1833
छत्तीसगढ़ के लोक गीत और नारी सशक्तिकरण—डॉ० तृषा शर्मा; डॉ० सुधीर शर्मा	1836
कुलिश की दृष्टि में राजनीति और पत्रकारिता—डॉ० जितेन्द्र द्विवेदी	1839
हिंदी साहित्य में काल क्रमानुसार अभिजात्य एवं लोक का संबंध—सचीन्द्र नाथ	1842
नाट्यशास्त्र में वर्णित संगीत का स्वरूप—अशोक बैरागी; डॉ० दीपिका श्रीवास्तव	1845
मेहरुन्निसा परवेज के उपन्यासों में नारी जीवन—राधा शर्मा; डॉ. स्नेहलता निर्मलकर	1848
स्त्री विमर्श और अलका सरावगी—निशु सिंहा; प्रो० अजय कुमार	1852
कोविड-19 संक्रमण एवं संतुलित आहार—डॉ० स्नेह लता	1854
महिलाएँ एवं सामाजिक न्याय - एक समाजशास्त्रीय अध्ययन—डॉ० दिलीप कुमार सोनी	1858

माध्यमिक स्तर के हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का उनकी शैक्षणिक उपलब्धि पर प्रभाव: एक अध्ययन-विमला कुर्रे; डॉ. सुनील कुमार सेन	1862
इक्कीसवीं सदी की कहानियों में चित्रित वर्तमान परिदृश्य-डॉ० पठान रहीम खान	1869
राजस्थान में पशुपालन का महत्व: एक भौगोलिक मूल्यांकन व विश्लेषण-नीलू चतुर्वेदी	1873
हिन्दी लघुकथा में वृद्ध संवेदना का चित्रण-सरिता कुमावत	1878
रीवा सम्भाग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों में पर्यावरण चेतना: एक भौगोलिक अध्ययन -अरूणेन्द्र बहादुर सिंह; सितेश भारती	1882
मानव जीवन में आकांक्षा एवं आकांक्षा स्तर की उपदेयता-विनोद कुमार; डॉ० कुमुद त्रिपाठी	1886
प्रवासी जीवन की अभिव्यक्ति के सन्दर्भ में उषा प्रियंवदा के कथा साहित्य में परम्परा और प्रगति का अध्ययन-सोनी यादव	1890
नरेश मेहता द्वारा रचित धूमकेतु और अरण्या का विवेचनात्मक अध्ययन-अशोक कुमार यादव	1893
“वर्तमान सन्दर्भ में श्रीमद्भगवद्गीता की उपादेयता”-डॉ० बन्दना सिंह	1896
काशीनाथ सिंह की कहानियों में यथार्थवाद का चित्रण-देवव्रत यादव	1899
उच्च शिक्षा तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-डॉ० ममता मणि त्रिपाठी	1902
नैषधीयचरितम् महाकाव्य में नल के व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक अध्ययन-डॉ० अमृत कौशल	1905
मीनाक्षी स्वामी के उपन्यास ‘भूभल’ में स्त्री चेतना-विजय कुमार पाल	1909
डॉ० नगेन्द्र द्वारा रस निष्पत्ति के सम्बन्ध में मौलिक विचारों का अध्ययन-विशाल मिश्र	1913
हिंदी साहित्य में स्त्री -विमर्श-डॉ० दिनेश श्रीवास	1916
राजस्थान के बाढ़ सम्भाव्य पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में फसल प्रतिरूप परिवर्तन का भौगोलिक अध्ययन-अमिता बाई यादव	1919
जैन-तीर्थ-स्थलों से जुड़े प्रबन्धन में स्वार्थ-परक राजनीति का प्रवेश-पवन कुमार जैन	1926
कुसुम अंसल साहित्य में पारिवारिक रिश्तों का बदलता स्वरूप-डॉ० विक्रम सिंह; डॉ० सुनीता	1928
“मुरैना जनपद के मन्दिरों में प्रतिबिम्बित प्राचीन भारतीय मन्दिर स्थापत्य का विकासक्रम”-गौरव सिंह; प्रो० प्रभात कुमार	1930
कोरोना संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव-डॉ० संतोष कुमार लाल	1934
सूर्यबाला की कहानियों में वृद्ध और आधुनिकता के व्यंग्यात्मक पहलू-नरेंद्र कुमार स्वर्णकार	1937
अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में ‘जेण्डर पाठ्यक्रम’ की आवश्यकता क्यों-वन्दना शर्मा; प्रो० वन्दना गोस्वामी; डॉ० अजय सुराणा	1940
व्याकरण शास्त्रे प्रमाणम्-डॉ० सुभाषचन्द्र मीणा	1943
एक राष्ट्र एक चुनाव: एक विश्लेषण-गुलशन कुमार; डॉ० मानसी सिन्हा	1947
आधुनिक शिक्षा प्रणाली का समाजशास्त्रीय मूल्यांकन-डॉ० सुशील कुमार सिंह	1950
तुलसीदास के काव्य में लोकमंगल-डॉ० राम टहल दास	1954
हठयोग: आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता-ज्योति शर्मा; प्रो. गणेश शंकर गिरि	1959
कृष्णा सोबती का अंतिम उपन्यास ‘चन्ना’: विश्लेषणात्मक अध्ययन-पूजा मिश्रा	1962
शोध विषय : नासिरा शर्मा के उपन्यासों में स्त्री जीवन की समस्या-सूर्यकांत एम.बी.	1966
हरियाणा की प्रतिनिधि हिंदी कहानियां-डॉ. ओम प्रकाश सैनी	1969
भारतीय संदर्भ में आतंकवाद के कारण: एक अध्ययन-सुरेन्द्र प्रसाद	1973
योगिता यादव की कहानियों ‘अनहोनी’ तथा ‘भेडिया’ में नारी अस्मिता का मुद्दा-प्रेम सिंह	1977
आनंदमठ उपन्यास की समीक्षा-डॉ० प्रीति राय	1980
मधुकर अष्ठाना के नवगीतों में यथार्थबोध-डॉ० प्रीति राय; हरकेश कुमार	1983
सामाजिक परिवर्तन के वाहक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक अवलोकन-सुरेन्द्र सिंह	1988

नई शिक्षा नीती 2020 के साथ पढेगा भारत

डॉ० दयाराम दुधाराम पवार

सहायक प्राध्यापक, शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नाशिक

सारांश

पिछले कुछ सालों से नई शिक्षा नीती का इंतजार हो रहा था। भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करते हुए स्वतंत्रता और पूर्व स्वतंत्रता के बाद की अवधि में शिक्षा के विकास के लिए आयोग और समितियाँ गठित की गईं। नई शिक्षा नीती के लिए भारत को 34 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। उस दौरान देश के समाज की जरूरतें बदल गई हैं। नई खोज तकनीक के माध्यम से कई बदलाव हुए। ये मुद्दे शैक्षिक नीती में बच्चे के समग्र विकास और विभिन्न कौशलों और क्षमताओं के समावेश के लिए शामिल हैं। पिछली शिक्षा नीती में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पर विचार नहीं किया गया था। 6 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा में शामिल किया गया है। पूरे देश के लिए नई 5 + 3 + 3 + 4 शैक्षिक संरचना बनाई गई है। देश में शिक्षा का न्यूनतम प्रतिशत बढ़ाने के लिए, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक विभिन्न को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। लक्ष्य 2035 तक 50% छात्रों को उच्च शिक्षा में शामिल करना है। संक्षेप में, प्रौद्योगिकी की उन्नति के कारण बदलते समाज की आवश्यकता को इस शैक्षिक नीती के माध्यम से पूरा किया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीती 2020 भारत को सक्षम, आत्मनिर्भर बनाने और नवाचार के लिए तैयार करने की दिशा में एक कदम है।

मुख्य शब्द : नई शिक्षा नीती, कौशल्य व क्षमताएं, आत्मनिर्भर

प्रस्तावना

किसी देश में सबसे बड़ा बदलाव करना हो तो उसको सबसे पहले उसकी शिक्षा नीती को बदलना चाहिए। पिछले कुछ सालों से नई शिक्षा नीती का इंतजार हो रहा था। भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करते हुए स्वतंत्रता और पूर्व स्वतंत्रता के बाद की अवधि में शिक्षा के विकास के लिए आयोग और समितियाँ गठित की गईं। संपूर्ण भारत को ध्यान में रखते हुए, पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीती 1968 में लागू की गई थी। फिर 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीती लागू की गई। उसीमें बदलाव 1992 में किये गये। आगे चलकर भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पेश किया गया। यह 2013 से लागू किया गया है। तब से संपूर्ण भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक नई सर्वसमावेशी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो भारतीय स्थिति और नवाचार की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करेगी। उस जरूरत को पूरा करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीती 2020 के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेशजी पोखरियाल निशंक को उनके पदभार ग्रहण करते ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षतावाली समीती द्वारा 31 मई 2019 को सौंपा गया। समीतीने नई शिक्षा नीती के बारे में तीन चार वर्षों से अधिक समय तक अध्यापकों, छात्रों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षावादीयों और राज्य सरकारों आदि के साथ परामर्श किया गया। समीती का काम पूरा होने के बाद भारत सरकार की उसे कैबिनेट मंत्रालय ने 29 जुलाई 2020 को भारतीय शिक्षा के लिए एक नई शिक्षा नीती को मंजूरी की गई। भारत और समाज की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली की बदलती स्थिति और राष्ट्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, शैक्षिक नीती में समावेश के मुद्दे को समय के बदलते मूल्यों के साथ शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीती 2020 से जुड़ी प्रमुख बातों पर एक दृष्टिकोण।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीती में बदलाव का मतलब है कि यह नीती वर्ष छह से अठार साल के बच्चों पर लागू होगी। जो पहले छह से चौदह वर्ष की आयु तक सीमित था। पहले पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के लिए कोई निश्चित पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और शिक्षा नहीं थी। लेकिन नई नीती में निश्चित पाठ्यक्रम के साथ उद्देश्यपूर्ण पूर्व-प्राथमिक स्तर के बच्चों में न्यूनतम क्षमता हासिल करना है।

एनसीईआरटी तय करेगा पाठ्यक्रम

प्री-प्राइमरी स्कूल के लिए पहला पाठ्यक्रम शैक्षिक नीती में पहली बार तय किया जाएगा। इसलिए, सभी पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा। इसमें बुनियादी शिक्षा पर जोर होगा। मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की भी योजना है। पूर्व प्राथमिक से बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त होगी।

मुख्य रूप से, यह पढ़ने और लिखने की क्षमता विकसित करने के लिए बुनियादी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। एनसीईआरटी को ऐसे बच्चे में बुनियादी क्षमताओं को विकसित करने वाले पाठ्यक्रम के निर्धारण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

विद्यालय शिक्षा

नई शिक्षा नीती में 'शिक्षा का अधिकार' कानून के दायरे को व्यापक बनाया गया है। नई शिक्षा नीती में पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर 12 वीं कक्षा तक की शिक्षा के लिए कानूनी धारा लागू करने की शिफारीश की गई है। यानी के अब 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जायेगा।

नई शिक्षा नीती के अंतर्गत कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों के पाठ्यक्रमों को सहाय्यक पाठ्यक्रम (Co-Curricular) को करिकुलर या अतिरिक्त पाठ्यक्रम (Extra Curricular) नहीं कहा जायेगा। उपरोक्त विषयों को भी पाठ्यक्रम में समाविष्ट किया जायेगा।

अब पांचवी तक की शिक्षा मातृभाषा, स्थानीय, या क्षेत्रीय भाषा में दी जायेगी।

मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।

नई शिक्षा नीती 2020 में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है। जो 3 से 18 साल की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है।

उच्च शिक्षा

नई शिक्षा नीती के अंतर्गत देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए 'भारतीय उच्च शिक्षा परिषद' नामक एक एकल नियामक की परिकल्पना की गई है। यह एआयसीटी और यूजीसी की जगह लेगा।

स्नातक पदवी चार साल की होगी। जिसमें एक वर्ष का पाठ्यक्रम समाप्त करने के पश्चात अध्ययनकर्ता को प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा। दो वर्ष समाप्त कर लेने के पश्चात डिप्लोमा की पदवी और स्नातक की पदवी तीन वर्ष या चार वर्ष पूर्ण करने के पश्चात और शोध कार्य करने के बाद प्रदान की जायेगी।

एनईईटी और जेईई आयोजित करने के साथही महाविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजन्सीज की जिम्मेदारी होगी।

परास्नातक और पीएच.डी के बीच एम.फिल पाठ्यक्रम एक मध्यवर्ती पाठ्यक्रम रहने के वजह से इसे बंद कर दिया जायेगा।

विदेशी महाविद्यालय के परिसर हमारे देश में और विदेशों में हमारे परिसर स्थापित किए जायेंगे।

नई शिक्षा नीती के लक्ष्य

- नई शिक्षा नीती के अंतर्गत शिक्षाक्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत खर्च किया जायेगा। जो की अभी 4.43 प्रतिशत है।
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीती के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100 प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है।

नई शिक्षा नीती का उद्देश्य

नई शिक्षा नीती 2020 का उद्देश्य यह है कि स्कूली शिक्षा के लिए एक नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना की परिकल्पना की गई है। जो शिक्षणकर्ताओं की आवश्यकता और उनके विकास के विभिन्न चरणों में प्रासंगिक है। इस नीती का उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार करनी है। जिससे भारत के सभी बालक उसका लाभ उठा सके। शिक्षणकर्ताओं की सोच और रचनात्मक क्षमता को बढ़ाकर सीखने की प्रक्रिया की और अधिक कुशल बनाना नई शिक्षा नीती के तहत स्कूल स्तर के साथ ही उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गये हैं। शिक्षा की नई गुणवत्ता को स्थापित करके उसे आसान बनाना है। जो कि भारत के वैश्विक मानकों के अनुसार हो भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है।

नई शिक्षा नीती के फायदे

- नई शिक्षा नीती लागू होने वाली है। और सभी उत्सुकतासे इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। नई शिक्षा नीती की खूबियाँ और खामियों पर चर्चा चल रही है।
- नई शिक्षा नीती अध्ययनकर्ताओं के एकीकृत विकास पर केंद्रित है।
- नई शिक्षा नीती के तरफ पाच साल के बच्चों के मानसिक विकास 5+3+3+4 संरचना के तरफ ध्यान दिया जायेगा। पहले 3 की तरफ बच्चों के पढ़ाई पर जोर दिया जायेगा। उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया जायेगा। कला, कौशल से लेकर खेलकूद के बारे में जानकारी दी जायेगी। इससे उनका व्यक्तिमत्व विकास योग्य प्रकारसे किया जायेगा।
- बच्चे मातृभाषा में भी समझाई गई संकल्पाओं को अधिक बेहतर तरीके से समझते हैं। नई शिक्षा नीती में मातृभाषा या स्थानिय भाषा में शिक्षा देने से मातृभाषा का महत्व बढ़ेगा।
- छठी कक्षा से व्होकेशनल कोर्स करने की वजह से बच्चे कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीखना आरंभ कर देंगे। आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में उन्हें पहलेसे ही इन बातों का ज्ञान प्राप्त होने की वजह से वे अच्छी नौकरी पाकर या व्यवसाय करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
- नई शिक्षा नीती तरफ बोर्ड परीक्षाओं का महत्व कम किया जायेगा। छात्रों के व्यावहारिक और वास्तविक ज्ञान का मूल्यमापन करने पर जोर दिया जायेगा। उसका परिणाम छात्र बोर्ड परीक्षा से नहीं डरेंगे।
- अनेक अध्ययनकर्ताओं को सभी निजी आर्थिक कारणों की वजह से अपनी महाविद्यालयीन शिक्षा बीच में ही छोड़ देनी पड़ती है। ऐसे सभी

विद्यार्थियों को एक साल या दो साल के बाद प्रमाणपत्र या डिप्लोमा मिलेगा। उससे उनके दो साल बर्बाद नहीं होंगे।

- राज्य और केंद्र सरकार दोनों शिक्षा के लिए जनता द्वारा अधिकतम सार्वजनिक निवेश की दिशा में एक साथ काम करेंगे। और जल्द से जल्द जीडीपी को 6% तक बढ़ायेंगे।

जिस तरह इस नई शिक्षा नीती के फायदे हैं वैसे कुछ कमियां भी हैं। नई शिक्षा नीती की तरत स्थानिय भाषा या मातृभाषा में पांचवी कक्षा तक पढ़ाया जायेगा। इस वजह से अंग्रेजी भाषा के प्रति कम दृष्टिकोण होगा। जो कि पांचवी कक्षा पूर्ण करने के बाद जरूरी है। अध्ययनकर्ताओं को संरचनात्मक तरीके से सीखना पड़ेगा। जिससे उनके छोटे दिमाग पर बोझ बढ़ सकता है। नई शिक्षा नीती विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के मार्ग खुले कर रही है। इसका परिणाम भारतीय शिक्षा व्यवस्था महंगी होने की आशंका है। जिससे निम्न वर्ग के अध्ययनकर्ताओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करना कठिन हो सकता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है। ऐसे में नई शिक्षा नीती के तरत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई। व्यवस्था को कार्यान्वित करने में व्यावहारिक समस्याएं आ सकती हैं।

छात्राओं को वर्ष में दो बार परीक्षा देनी होगी। अब तक की वर्ष में एक बार ही परीक्षा होती थी। सामान्य छात्रों को वर्ष में दो बार परीक्षा देना मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। 1986 की शिक्षा प्रणाली का अध्यापन किये हुए छात्राओं को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि नई शिक्षा नीती तरत बीच में शिक्षा छोड़े हुए छात्राओंको वर्ष बर्बाद नहीं होगा। नई शिक्षानिती तहत पीएचडी करने वालों के लिए आसानी हो गई है। स्नातकोत्तर के पश्चात वे सीधा पीएचडी कर सकेंगे और अनुसंधान से काफी सींटे भी बढ़ जायेगी।

निष्कर्ष

यह नई शिक्षा नीती 1986 की शिक्षा नीती में किए गए परिवर्तनों का परिणाम है। इस नीती में अनेक सकारात्मक विशेषताएं हैं। इस नीती का संबंध अध्ययन पाठ्यक्रम के साथ कौशल्य विकास पर ध्यान देना है।

नई शिक्षा नीती के लिए भारत को 34 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। उस दौरान देश के समाज की जरूरतें बदल गई हैं। नई खोज तकनीक के माध्यम से कई बदलाव हुए। ये मुद्दे शैक्षिक नीति में बच्चे के समग्र विकास और विभिन्न कौशलों और क्षमताओं के समावेश के लिए शामिल हैं। पिछली शिक्षा नीति में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पर विचार नहीं किया गया था। 6 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा में शामिल किया गया है। इसलिए प्री-प्राइमरी से 12 वीं कक्षा तक की शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। पूर्व-प्राथमिक स्तर से शिक्षा में मातृभाषा पर विशेष जोर दिया गया है।

पूरे देश के लिए नई 5 + 3 + 3 + 4 शैक्षिक संरचना बनाई गई है। देश में शिक्षा का न्यूनतम प्रतिशत बढ़ाने के लिए, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक विभिन्न मदों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। लक्ष्य 2035 तक 50% छात्रों को उच्च शिक्षा में शामिल करना है। संक्षेप में, प्रौद्योगिकी की उन्नति के कारण बदलते समाज की आवश्यकता को इस शैक्षिक नीति के माध्यम से पूरा किया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को सक्षम, आत्मनिर्भर बनाने और नवाचार के लिए तैयार करने की दिशा में एक कदम है। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से एक सार्वभौम राष्ट्र के रूप में उभरती है।

संदर्भग्रंथ सूची

- कुलकर्णी विश्वंभर व भिंताडे वि रा, (2006), भारतीय आधुनिक शिक्षण : समस्या आणि उपाय : पुणे, श्रीविद्या प्रकाशन
- दुनाखे अरविंद, (2004) , भारतीय शिक्षण पद्धती व माध्यमिक शिक्षण पुणे, नूतन प्रकाशन
- राष्ट्रीय शिक्षा नीती 2020 : मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार
- भारतीय शिक्षण मासिक, ऑक्टोबर 2020
- <https://new education policy 2020>